राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)

क्रमांक प. 2(3)ग्रावि/अनु–8/समीक्षा बैठक/भ्रमण/2015/पार्ट–II जयपुर, दिनांक :– 20/04/2022

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2022 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में संचालित योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी) के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये :–

महात्मा गांधी नरेगा :–

- योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 तक के समस्त अपूर्ण कार्यों की कार्यवार समीक्षा कर दिनांक 31.05.2022 तक पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावे।
- लंबित रिजेक्टेड ट्रान्जेक्शन को समाप्त करने हेतु वर्ष 2020–21 तक के रिजेक्टेड ट्रान्जेक्शन को दिनांक 30.04.2022 तक समाप्त किया जावे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के रिजेक्टेड ट्रान्जेक्शन को रिप्रोसेस किये जाने की कार्यवाही 7 दिवस में आवश्यक रूप से की जावे।
- ऐसे कार्य जिन पर श्रमिक नियोजन 20 या अधिक है, उन कार्यों पर श्रमिक उपस्थिति शत प्रतिशत **एनएमएमएस** के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिन कार्यस्थलों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, उनका समाधान करवाया जावे एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपने स्तर से नेटवर्क की उपलब्धता का सत्यापन करावें तथा जिन ग्राम पंचायतों में उपलबधता नहीं है, की सूची विभाग को प्रेषित करावे।
- डीपीसी, एडीपीसी एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह लक्ष्य के अनुरूप नरेगा कार्यों के निरीक्षण को **एरिया ऑफिसर एप** पर अपलोड किया जावे।
- नरेगा सॉफ्ट में समस्त एक्टिव श्रमिकों की आधार सीडिंग की जावे, ताकि श्रमिकों का भुगतान एबीपीएस के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों के पास अपडेटेड जॉबकार्ड की उपलब्धता एवं जॉबकार्ड्स के अपडेशन हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर माह अप्रेल 2022 के अन्त तक पालना सुनिश्चित की जावे।

- बजट घोषणा में पंचशाला (पौधशाला, पौषण शाला, पशु शाला, कार्यशाला, निर्माण शाला) निर्माण कराए जाने के लक्ष्य आवंटित किये गये है। विभाग द्वारा जिलों से कुल लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इसके वास्तविक लक्ष्यों के लिए विभाग स्तर से गूगल शीट भेजी जावे, जिसमें जिले अपने जिले की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उक्त पांच प्रकार के कार्यों के लक्ष्य अपने स्तर पर निर्धारित कर सूचना दिनांक 30.04.2022 तक उपलब्ध करावें। कुल लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित अनुसार ही रहेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना :–

- वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक स्वीकृत आवासों में से 73,057 आवास अभी भी अपूर्ण है, जिस संबंध में 43,524 अपूर्ण आवास जिन्हे द्वितीय किश्त जारी हो चुकी है को 30 अपैल, 2022 तक एवं शेष 29,533 अपूर्ण आवासों को 15 मई, 2022 तक पूर्ण करावे।
- वर्ष 2021–22 के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध जारी होने से शेष 7373 स्वीकृतिया एवं शेष 18,120 प्रथम किश्त दिनांक 22.4.22 तक जारी करावे।
- वर्ष 2021–22 में प्रगतिरत 3,81,780 आवासों में से निम्नानुसार 2.00 लाख आवासों को 31 मई, 2022 तक पूर्ण कराने हेतु आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जावे–

अपूर्ण (21-22)	द्वितीय किश्त जारी	आवास पूर्ण करने की कार्य योजना			
		30 अप्रैल 22 तक	15 मई 22 तक	31 मई 22 तक	कुल
381780	145485	40000	80000	80000	200000

- योजनान्तर्गत मनरेगा से देय 90 मानव दिवस मस्टररोल एक साथ जारी करावे।
- आवास पूर्ण प्रदर्शित होने पर मस्टररोल जारी नहीं हो पाती है। अतः मनरेगा से देय 90 दिवस का भुगतान होने के पश्चात ही आवास को **"आवास सॉफ्ट"** पर आवास पूर्ण होना प्रदर्शित किया जावे।
- नरेगा सॉफ्ट पर R6.18 रिपोर्ट में लाभार्थीवार जारी मस्टररोल की प्रगति एवं R6.15 रिपोर्ट में पखवाड़े के दौरान चल रहे कार्यों की संख्या/लाभार्थीवार प्रदर्शित प्रगति के आधार पर नियमित समीक्षा की जावे।
- पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय की स्वीकृति भी जारी कर आवास के साथ शौचालय निर्माण पूर्ण करावे।
- आवास के साथ स्वीकृत शौचालयों का विवरण आवास सॉफ्ट पर आवश्यक रूप से अपलोड करे।
- योजनान्तर्गत 8,171 पात्र भूमिहीन परिवारों की लाभार्थिवार समीक्षा कर प्राथमिकता से भूमि उपलब्ध कराई जावे एवं **"आवास सॉफ्ट"** एवं गूगलशीट पर लाभार्थीवार सूचना अपलोड की जावे।
- पंचायत समिति मुख्यालयों पर प्रगतिरत प्रोटो टाईप आवासों को एक माह में पूर्ण करावे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :–

- जिन जिलों की प्रगति संतोषप्रद नहीं है उन जिलों के जिला परियोजना समन्वयक पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखा जावे।
- प्रशासन गांव के संग अभियान में शौचालय निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण कर प्रोत्साहन राशि दी जावे।
- प्रधानमंत्री आवास हेतु चिन्हित परिवारों को शौचालय की पात्रता की जांच कर आवास निर्माण के साथ–साथ शौचालय निर्माण कर प्रोत्साहन राशि दी जावे।
- प्रधानमंत्री आवास में शौचालय निर्माण की प्रगति की पृथक से मॉनिटरिंग कर सूचना प्रेषित की जावे।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर के संचालन एवं रख–रखाव हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें संचालन एवं रख–रखाव हेतु विस्तृत विकल्पों का विवरण दिया गया है। स्वीकृति जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि उसके संचालन एवं रख–रखाव की कार्य योजना तैयार की गई है।
- ओडीएफ प्लस घोषित गांवों हेतु सत्यापन प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जिसमें सत्यापन की समय–सीमा, टीम के गठन एवं सत्यापन के प्रारूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। उक्त प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यो का सत्यापन निर्धारित समय–सीमा में करवाया जावे।
- जिन शौचालयों में रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, उनमें पात्रता के अनुसार रेट्रोफिटिंग की समस्त स्वीकृतियां अविलम्ब जारी की जावे।
- जिलों को दिये गये समस्त अग्रिमों का समायोजन/अवशेष राशि लौटाने की कार्यवाही 30 मई, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।
- आर.आर.सी. की प्रगति की पृथक से समीक्षा की जावे।
- प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में समस्त जिलों के जिला परियोजना समन्वयक के साथ अप्रेल, 2022 के अन्तिम सप्ताह में प्रगति समीक्षा हेतु विडियों कॉन्फ्रेंस की जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बी. एल. वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
8 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
9 जिला कलक्टर समस्त।
10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
11 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
12 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/महात्मा गांधी नरेगा।
13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
14 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)